

चैतन्य विद्यानिकेतन में प्रवेश हेतु नियमावली

छात्र एवं अभिभावक से निवेदन है कि वे निम्न दिशा निर्देशों को अच्छी प्रकार से पढ़ लें तथा मन वचन कर्म से स्वीकृति होने पर ही आवेदन करें।

प्रवेश प्रक्रिया

1. नवीन सत्र का शुभारम्भ इस वर्ष अप्रैल माह 2024 से किया जायेगा।
2. 8वीं से 12वीं तक पंचवर्षीय पाठ्यक्रम अंग्रजी एवं गुजराती माध्यम से कराया जाता है।
3. कक्षा 7वीं में 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त बालको को ही साक्षात्कार शिविर में आमंत्रित किया जायेगा, जिसमें बालक एवं उसके अभिभावक को आना अनिवार्य होगा।
4. प्रतिवर्ष कक्षा 8वीं में लगभग 10-15 बालकों का प्रवेश साक्षात्कार शिविर के माध्यम से किया जाता है।
5. साक्षात्कार शिविर के अंतर्गत लौकिक एवं धार्मिक प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
प्रवेश प्रक्रिया में बालक का परीक्षाफल, प्रतिभा सम्पन्नता, आध्यात्मिक रुचि व्यवहारिक ज्ञान आदि सभी बातों का ध्यान रखा जायेगा, जिसके आधार से विद्यानिकेतन में प्रवेश दिया जायेगा।
6. साक्षात्कार शिविर में आने वाले बालक एवं अभिभावक को अपने खर्च से ही आना होगा।
7. विद्यानिकेतन में प्रवेश प्राप्त छात्रों कि सूची साक्षात्कार शिविर के अंतिम दिन में लगाई जायेगी।
प्रवेश प्राप्त नहीं होने वाले छात्रों को कारण बताने के लिये संस्था बाध्य नहीं होगी।
8. साक्षात्कार में बालकों को बालबोध भाग 1, 2, 3 एवं लघु जैन सिद्धान्त प्रवेशिका के 50 प्रश्न पूछे जायेंगे।
9. बालक के साथ-साथ माता-पिता की भी धार्मिक रुचि होना आवश्यक है।
10. क्या आपका परिचित कोई छात्र चैतन्य विद्यानिकेतन में पढ़ चुका है या पढ़ रहा है? हाँ/ ना यदि हाँ, तो छात्र का नाम - पता एवं संबंध लिखें।

नाम _____ पता _____ संबंध _____

आवश्यक नियम

1. छात्र को लौकिक पाठ्यक्रम के साथ-साथ विद्यानिकेतन द्वारा निर्धारित नैतिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पढ़ना अनिवार्य होगा।
2. छात्र को लौकिक शिक्षा हेतु विद्यानिकेतन के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. विद्यानिकेतन में संचालित धार्मिक कक्षाओं की वार्षिक /अर्धवार्षिक / समसामयिक परीक्षाएं ली जाएंगी।
4. छात्र को लौकिक शिक्षा आदि हेतु निर्देशक की लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य है।
5. लौकिक शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को दूर करने की जिम्मेदारी छात्र एवं अभिभावक की होगी।
6. छात्र को अधीक्षक द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर ही रहना होगा। स्वेच्छ से स्थान परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
7. अभिभावक छात्र से 10 दिन में एक बार निश्चित दिन एवं निश्चित समय पर फोन से बात कर सकते हैं।
8. अभिभावक को सूचना के अनुसार बुलाए जाने पर विद्यानिकेतन में आना अनिवार्य होगा।
9. अभिभावक या बालक से संबंधित व्यक्ति को बालक से मिलने आने हेतु पूर्व में ही लिखित रूप में मेल करके बताना होगा अन्यथा आपकी असुविधा अथवा समुचित व्यवस्था न होने की जिम्मेदारी विद्यानिकेतन की नहीं होगी।
10. विद्यानिकेतन के नियमों की अवहेलना करने पर छात्र को निष्कासित किया जा सकता है। जिसकी सूचना अभिभावक को दे दी जायेगी।

11. छात्र को विद्यानिकेतन में अभक्ष्य भक्षण, बिना छना जल, रात्री भोजन, सप्त व्यसनों आदि का त्याग और सामान्य अष्ट मूल गुणों का पालन एवं संपूर्ण शिक्षा काल तक पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना होगा।
12. छात्र को अधीक्षक के निर्देशन में विद्यानिकेतन की निर्धारित दिनचर्या का पालन एवं सभी प्रकार के कार्य अपने हाथों से करने होंगे, जिससे वह प्रत्येक कार्य करने में कुशलता प्राप्त कर सके।
13. छात्र स्वयं आवास, आस-पास के स्थान, स्नानगृह आदि में स्वच्छता बनाये रखेंगे।
14. छात्र को अपने पास रखने वाले सामान की सूची अधीक्षक को देनी होगी।
15. छात्र नगदी या जोखिम अपने पास न रखकर सकते यदि आपके पास कोई नगद राशी है तो उसे कार्यालय में जमा करायें अन्यथा खो जाने पर उसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी तथा चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर दान की रसीद बनायी जायेगी वापिस नहीं दिये जायेंगे।
16. छात्र को अपने कमरे में ट्यूबलाईट एवं पंखे के अलावा बिजली का हिटर, रेडियो, टेप, वॉकमेन, केमेरा, विडियोगेम, मोबाईल, लेपटोप, स्मार्टवॉच एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि का उपयोग वर्जित है।
17. विद्यानिकेतन के निश्चित अवकाश के अतिरिक्त अवकाश हेतु अधीक्षक की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना सूचना के विद्यानिकेतन के बाहर जाने पर उसकी जिम्मेदारी स्वयं छात्र अथवा उसके अभिभावक की होगी तथा यह एक दण्डनीय अपराध माना जायेगा।
18. छात्र को शिविर या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने हेतु अन्य क्षेत्रों में भेजा जा सकता है।
19. विद्यानिकेतन में रहने वाले छात्रों को समस्त गतिविधियों में निर्धारित वेशभूषा कर्ता पायजामा में रहना अनिवार्य है।
20. विद्यानिकेतन में छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रवचन, कक्षा, साप्ताहिक गोष्ठियां, भाषण, वाद-विवाद भजन, संगीत आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन समय-समय पर किया जायेगा।
21. विद्यानिकेतन में छात्रों के मानसिक, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास हेतु पुस्तकालय, कम्प्यूटर, संगीत शिक्षा खेलकूद आदि की व्यवस्था रहेगी। यदि छात्र इनका दुरुपयोग करेंगे तो दण्ड राशि ली जायेगी।
22. विद्यानिकेतन में अंग्रजी, विज्ञान, गणित, प्राकृत, संस्कृत आदि की शिक्षा विशेष रूप से दी जायेगी।
23. छात्र को प्रवेश लेते समय 10000 जमा राशि के रूप में जमा कराने होंगे जो कि छात्र के पांच वर्ष परिपूर्ण होने के बाद ही लोटाये जायेंगे, अन्यथा नहीं। यदि छात्र संस्थान में किसी भी प्रकार का नुकसान करता है तो उसकी भरपाई छात्र को स्वयं करनी होगी।
24. छात्र के कपड़े लॉन्ड्री में द्वारा धुलवायें जायेंगे, जिसकी राशि स्वयं छात्र को देनी होगी।
25. छात्र के बीमार होने पर पूरा ध्यान रखा जायेगा किन्तु स्वास्थ्य एवं खर्च की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभिभावक की ही होगी।
26. स्कूल के अवकाश होने पर चैतन्य विद्यानिकेतन का अवकाश नहीं रहेगा जैसे दशहरा, होली, क्रिसमस मकर सक्रांति, शीतकालीन, रक्षाबंधन इत्यादि।
27. विद्यानिकेतन में मात्र धार्मिक शिक्षा, भोजन, आवास व विद्यालय आवागमन की व्यवस्था ही निःशुल्क है परन्तु लौकिक शिक्षा व ट्यूशन फीस एवं अन्य निजी खर्च आदि की व्यवस्था अभिभावक को स्वयं ही करनी होगी।
28. यदि बालक बीच सत्र में स्वयं अथवा विद्या निकेतन द्वारा किसी भी कारणवश से निष्कासित होता है तो अभिभावक को प्रत्येक वर्ष की 30000/- राशी संस्था को देनी होगी जिसके बाद ही बालक की टी. सी. प्रदान की जायेगी।

चैतन्य विद्यानिकेतन प्रबंधन कमेटी की अनुमति द्वारा यथा योग्य परिवर्तन समयानुसार किया जा सकता है जो छात्र एवं अभिभावक को बाध्य होगा।

छात्र के हस्ताक्षर

अभिभावक के हस्ताक्षर

पिता / संरक्षक स्वीकृति - पत्र

यह छात्र लौकिक रिश्ते से मेरा _____ हैं
मैंने चैतन्य विद्यानिकेतन के सभी निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। मुझे विद्यानिकेतन के संपूर्ण नियम स्वीकार हैं। मैं स्वेच्छा से अपने बालक को यहाँ प्रवेश दिलाना चाहता हूँ तथा प्रमाणित करता हूँ कि छात्र ने आवेदन पत्र स्वयं भरा है तथा बालक द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी सही है।
मैं अपनी ओर से संस्था को आश्वासित करता हूँ कि मेरा बालक आपकी संस्था के वर्तमान नियमों तथा समय - समय पर परिवर्तित नियमों - सूचनाओं तथा अनुशासन का अवश्य पालन करेगा। यदि कोई नियम विरुद्ध कार्य करता है, तो निर्देशक/ प्राचार्य द्वारा दिया गया दण्ड मान्य होगा। मेरे बालक की उचित अनुचित सभी प्रकार की गतिविधियों के लिये मैं पूर्णता जिम्मेदार / रहूँगा / रहूँगी।

हस्ताक्षर माता / पिता / संरक्षक

छात्र के संबंध में समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का प्रमाणीकरण

हम यह प्रमाणित करते हैं कि छात्र और उसके पिता / संरक्षक को हम भलीभाँति जानते हैं, और जो उपरोक्त विवरण दिया है वह सही है। यह छात्र चैतन्य विद्यानिकेतन में प्रवेश पाने योग्य है।

नाम _____
व्यवसाय / पद _____
पता _____

नाम _____
व्यवसाय / पद _____
पता _____

मोबाईल न.

मोबाईल न.

Stamp

Stamp

फार्म के साथ संलग्न करें

- आवेदन पत्र भरते समय छात्र की चार वर्तमान पासपोर्ट फोटो, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, हेल्थ सर्टीफिकेट, ब्लड ग्रुप, पूर्व कक्षा की मार्क सीट, संलग्न करें।
- माता / पिता / संरक्षक की आय से संबंधित विवरण एवं 3-3 पासपोर्ट फोटो, आधार कार्ड अवश्य संलग्न करें।
- प्रवेश फार्म के साथ 500/ रूपये का डीडी के नाम से भेजें।
- *BANK DETAILS CHAITANYA VIDHYA NIKETAN CHARITABLE TRUST*
HDFC BANK NARODA-AHMEDABAD A/C No:- 50100258725732
IFSC Code:- HDFC0000958 INCOME TAX (EXEMPTIONS) - 80G
CHAITANYA VIDHYA NIKETAN CHARITABLE TRUST - Office Mob :- 9409274139
- साक्षात्कार (इन्टरव्यू) शिविर की जानकारी आपको शीघ्र ही पत्र द्वारा दी जायेगी।

फार्म भेजने का पता : चैतन्यधाम ऑफिस 15, अजय एस्टेट, नागरवेल हनुमान रोड,
रखियाल, अहमदाबाद पिनकोड नं. 380023 ☎ 079-22743368

विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें
चैतन्यधाम

पण्डित सचिन शास्त्री Mobile No. 9924281114/9409274126
Email : Chaitanyadham@gmail.com Web : WWW.Chaitanyadham.com